संख्या- 20-ई.एम./84-का-4-2004

प्रेषक,

भुइयाँदीन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4, लखनऊ: दिनाँक: मार्च 03 ,2004

विषय:- समस्त श्रेणी के सरकारी सेवकों ।सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सम्मिलित करते हुए।को परिचय पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 05 अक्टूबर,1991 एवं दिनाँक 31 मार्च,1993 के द्वारा यह सुस्पष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे, कि सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सम्मिलित करते हुए, समस्त श्रेणी के सरकारी सेवकों को परिचय पत्र शीघ्र निर्गत कर दिये जाँय, ताकि पेंशन सहित अन्य कार्यों में कठिनाई उत्पन्न न हो ।

2. शासन के संज्ञान में लाया गया है, कि अभी भी अनेक विभागों में परिचय पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं, जिससे सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को विशेष रूप से कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । अत: आपसे यह अनुरोध करने का मुझे पुन: निदेश हुआ है कि समसंख्यक शासनादेश दिनाँक 5 अक्टूबर,1991 में अंकित दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त सरकारी सेवकों ।सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को सम्मिलित करते हुए। को यथाशीघ्र परिचय पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
। भुइयाँदीन ।
विशेष सचिव ।

संख्या-20-ई.एम./84।।-का-4-2004, तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
4. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
5. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
। भुइयाँदीन ।
विशेष सचिव ।